FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0019 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 20/06/2025 14:35 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday Date from (दिनांक से): 20/06/2025 Date To (दिनांक तक): 20/06/2025

Time Period (समय अवधि): Pahar 4 Time From (समय से): 10:30 hrs Time To (समय तक): 10:30 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/06/2025 Time (समय): 13:55 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 20/06/2025 14:04 hrs

Anti Corruption Bureau * Rohtak Range, Rohtak * Police Station

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): L-II NGO क्वाटर पुलिस लाईन,सोनीपत

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): जितेन्द्र सिंह

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री सुबे सिंह

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1990 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Scanned with OKEN Scanner

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गांव शेखपुरा तहसील गन्नौर, जिला सोनीपतSONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गांव शेखपुरा तहसील गन्नौर, जिला सोनीपतSONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9813963928

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	शशांक निजि सहायक II			1. उपायुक्त कार्यालय सोनीपत, SONIPAT,HARYANA,INDIA

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,
निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उपकेन्द्र सोनीपत।
श्रीमान जी,

Scanned with OKEN Scanner

सविनय निवेदन यह है कि मैं जितेन्द्र सिंह S/O श्री सुबे सिंह गांव शेखपुरा तहसील गन्नौर जिला सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ और उपायुक्त कार्यालय सोनीपत का स्थाई कर्मचारी हूँ। मैं अपने कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से अत्याधिक व्यथित हूँ। मैने पहले भी उपायुक्त कार्यालय के एक भ्रष्ट अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाया था। बचाव कार्य करते हुए मेरा एंक्सीडेन्ट हो गया था जिसके कारण मैं स्थाई रुप से विकलांग हो गया हूँ जिसकी वजह से मुझे चलने- फिरने में काफि असुविधा होती है। मेरी ईमानदारी की वजह से मुझे बार बार स्थानांतरित किया जा रहा है। मेरा दो माह में गन्नौर तहसील में स्थानातरण कर दिया गया। इसके अलावा मेरा एक माह में राई तहसील से स्थानातरण कर दिया गया एंव चार माह में उप मण्डल अधिकारी (ना0) खरखौदा व गन्नौर से स्थानातरण कर दिया गया। हाल में मुझे नियमो के विरुद्ध अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय सोनीपत में स्थानातरित कर दिया गया। जबकि मैं उपायुक्त कार्यालय का स्थाई कर्मचारी हूँ। अपने बार बार स्थानातरण से परेशान होकर अपने साथी कर्मचारीयों से पुछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि ट्रांसफर करवाने की एवज में उपायुक्त महोदय सोनीपत का निजी सहायक शशांक DITS सोनीपत में कार्यरत अनुप व सरल केन्द्र में कार्यरत राजेश कम्पयूटर आपरेटर के माध्यम से रिश्वत लेता है। मैं हाल में राई तहसील के निकट मैपस्को कम्पनि के फ्लैट में किराए पर रहता हूँ इसलिए अपाहिज होने की वजह से राई तहसील में आना जाना मेरे लिए आसान था। इसलिए मैने राई तहसील में स्थानातरण करवाने के लिए शशांक से कई बार प्रार्थना की तो उसने मुझे कहा कि राई तहसील में रजिस्ट्रेशन कलर्क की केवल एक सीट है उस पर पहले से कोई लगा हुआ है। शशांक ने कहा कि राई में रजिस्ट्रेशन कलर्क लगने के लिए कई कर्मचारी पाँच पाँच लाख रुपए देने को तैयार है यह भी कहा कि मैं आपको रजिस्ट्रेशन कलर्क तो लगवा दूँगा लेकिन सिस्टम के अनुसार आपको पाँच लाख रुपए देने होगे। मैं शशांक के भ्रष्ट आचरण से दुखी था। अत मैने इस भ्रष्ट कर्मचारी को पकवाने का निश्चय किय। और उसका विश्वास जीतने के लिए मैने उसके माँगने पर एक घण्टे के अन्दर-2, 1,50,000/- रुपए (डेढ लाख रुपए) शशांक को दे दिए। एक दिन मुलाकात होने पर मैने शशांक का विश्वास जीतने के लिए कहा कि DITS सोनीपत में कार्यरत अनुप व राजेश कम्पयूटर आपरेटर विजिलेंस के रडार पर है आप थोडा सावधान रहना फिर उससे पूछा कि मेरे काम का क्या हुआ तो शशांक ने कहा कि कोन सा काम, मैने कहा आर.सी. बाबत यार क्या बात है तेरे कहने पर एक घण्टे में 1,50,000/- रुपए का इंतजाम किया भाई ततकाल पैसा ना आया हो तो बता इस पर शशांक ने कहा कि आ गया और DC साहब से बात हो गई मैने कहा कि मेरा काम भी तत्काल नही होना चाहिए था क्या। मैने कहा कि बाकी पैसा भी Next week आ जाएगा, DC साहब को बता देता यार, तो शशांक ने कहा कि बता भी दिया था तो मैने कहा कि फिर किसलिए Delay हो रहा है। इस पर शशांक ने अपने हाथों से पैसे देने का इशारा किया तो मैने कहा कि समझ गया और पूछा कि अभी और कितने का इतजांम करना है। शशांक ने कहा साढे तीन लाख । उसी समय कोई व्यक्ति कमरे का दरवाजा खोलकर हमारी ओर आया तो मैने भी बातचीत को जल्दी खत्म करते हुए कहा कि साढे तीन लाख का भी करता हूँ दो तीन दिन में इतजांम। लेकिन भाई आडर जल्दी करवा दे। इस पर शशांक ने कहा कि ठीक है सर ठीक है। उक्त बातचीत को मैने रिकार्ड कर लिया था। उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी शशांक ने मुझे राई में रजिस्ट्रेशन क्लर्क लगवाने के आदेश करवाने की एवज में बकाया 3,50,000/- रुपए की रिश्वत राशि लेने के लिए आज बुलाया है। मैं उस भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी को रिश्वत के पैसे नही देना चाहता । मेरे और शशांक के बीच हुई बातचीत की कुछ Recording मेरे पास है । जिसको मैं बाद में आपको पेश कर दूंगा । मामले की गंभीरता को देखते हुए मैने अपने स्तर पर उपरोक्त आँडियों रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक लैब से AUDIO AUTH-ENTICATION TEST करवाया है जिसकी जाँच रिपोर्ट व सत्यापित सी.डी. व पैन ड्राईव भी बाद में आपको पेश कर दूंगा ।

अत उपायुक्त सोनीपत के भ्रष्ट निजि सहायक II शशांक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

हस्ता अंग्रेजी JITENDER

जितेन्द्र सिंह S/O सुबे सिंह

R/O शेखपुरा (गांव) तह0

गन्नौर जिला सोनीपत

9813963928

Anti Corruption Bureau Police Station Rohtak Range, Rohtak

कार्यवाही पुलिस- आज दिनांक 20/6/25 को उच्च अधिकारीयों के आदेशानुसार मै निरीक्षक मनोज कुमार साथी पुलिस कर्मचारीयों ASI जगबीर 1114/रेवाडी, HC नवीन 2034/रोहतक, HC कपील 238/झज्जर C अनील 571/झज्जर सरकारी गाडी बलेरो HR 03GV-7843 चालक EHC अनुप 1686/रोहतक सहित पुलिस लाई सोनीपत में सरकारी क्वाटर न0 L-11 NGO के सामने पहुंचा हुँ जहा पर शिकायतकर्ता जितेन्द्र सिंह S/O सुबे सिंह गांव शेखपूरा त0 गन्नौर जि0 सोनीपत ने

Scanned with OKEN Scanner

मुझ से मुलाकात करके उपरोक्त शिकायत प्रस्तुत की ओर अपने मोबाईल सैमसंग फोन में आरोपी व शिकायतकर्ता के मध्य रिश्वत के लेन देन के सम्बंध में आमने-सामने हुई बातचीत की ओडियों रिकोर्डिंग को सुनाया। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तूत की गई शिकायत का अध्ययन करने एवं रिकोर्डिंग को सुनने से धाराधीन 7 PC ACT का अपराध घटित होना पाया जाने पर यह लेख अभियोंग दर्ज करवाने हेतु मुख्य सिपाही कपील 238/झज्जर के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक भेजा जा रहा । अभियोंग पंजीकृत किया जाने उपरान्त अभियोंग नम्बर से सूचित किया जावे । और इस अभियोंग से सम्बन्धित स्पैशल रिपोर्ट नियामानुसार उच्च-अधिकारियों एंव ईलाका मैजिस्ट्रेट को भिजवाई जावे । मेरे द्वारा इस ट्रैप के सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह नियुक्त करने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र ई-मेल के माध्यम से कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक भेजा गया है। उप निरीक्षक जगजीत 1241/SPT एंव L/ASI रेनू 1581/सोनीपत को ACB/सोनीपत से बुलाया गया है मै राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह नियुक्त होने उपरान्त नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाऐगी। में साथी पुलिस कर्मचारीयों एंव अनुसंधान अधिकारी की किट,लैपटाप, प्रिन्टर इत्यादि सहित सरकारी क्वाटर L-II NGO पुलिस लाईन सोनीपत में उपस्थित हुँ। हस्ता अंग्रेजी MANOJ INSP

अज- L-II NGO क्वाटर पुलिस लाईन सोनीपत

निरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

रोहतक मण्डल रोहतक

दिनांक 20/6/25

समय 10.30 AM

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0 न0 19 दिनांक 20.06.25 धारा 7 P.C Act थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्पयुटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान बाला व इलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरीया स्पैशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पैशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके डयुटी मैजिस्ट्रैट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त मुख्य सिपाही कपील न0 238/रोहतक की जाकर रवाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगतसिंह न0 560/RR की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Manoj Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1136RWR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

Scanned with OKEN Scanner

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Anti Corruption Bureau, Rohtak Range, Rohtak
Police Station

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): BHAGAT SINGH

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.): 560/RR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Scanned with OKEN Scanner